न्यायालय श्रीमान् सदस्य महो0 राजस्व मण्डल लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

1. नत्थूलाल तनय गूलम चौधरी उम्र 55 वर्ष पेशा मजदूरी
2. लहुराई पिता गूलम चौधरी उम्र 50 वर्ष पेशा मजदूरी
3. विश्वनाथ पिता गूलम चौधरी उम्र 45 वर्ष पेशा मजदूरी

सभी जाति साकेत सभी निवासी देवरी पो0 अजमाइन तह0 मैहर सर्किल भदनपुर थाना बदेरा जिला– सतना म0प्र0 . .... निगराकारगण

बनाम

श्यामसुन्दर तनय छोटेलाल रजक उम्र 46 वर्ष पेशा प्राइवेट नौकरी (सिंह ट्रास्पोर्ट फैक्ट्री सरला नगर भदनपुर पहाड़ में) जिला सतना निवासी देवरी पो0 अजमाइन तह0 मैहर थाना बदेरा जिला– सतना म0प्र0 ..... गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध (न्यायालय) राजस्व निरीक्षक सर्किल भदनपुर तह0 मैहर जिला– सतना के सीमांकन प्रकरण क्रं0 17अ12/2014–15 आदेश दिनांक 20/08/2015 (श्याम सुन्दर रजक बनाम शासन) के विरुद्ध ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 सं0 1959ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार नीचे लिखे अनुसार है:–

1. यह कि उक्त निगराकारगण कि निगरानी वैद्यानिक तथ्यों पर आधारित है जो श्रीमान् द्वारा निश्चित ही स्वीकार की जावेगी और हलका पटवारी देवरी द्वारा किये गये सीमांकन में घोर अनियमितता के आधार पर एवं चुपचाप एक स्थान पर बैठकर सीमांकन संबंधी फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया है राजस्व निरीक्षक भदनपुर जिला सतना 20/08/2015 का सीमांकन की पुष्टि आदेश स्थित काबिल नहीं है ।
2. निगराकारगण हरिजन अपढ मजदूरी पेशा के हैं गैरनिगराकार श्यामसुन्दर रजक पढ़ालिखा पैसे वाला प्रभावशाली व्यक्ति है और जन धन से परिपूर्ण है ।
3. निगराकारगण शासकीय आबादी वास दखल की भूमि नं0 137 जिसका कुल रकवा 0. 805 आरे स्थित ग्राम देवरी पटवारी हलका देवरी सर्किल भदनपुर तह0 मैहर जिला सतना में स्थित है उक्त भूमि आबादी की भूमि में काफी अर्सा से 70 बाई 90, 70 बाई 90, 70 बाई 90, ब बराबर में निगराकारगण मकान बनाकर काबिज आबाद हैं और निस्तार करते हैं ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन–निग/सतना/2017/2435

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त भदनपुर तहसील मेहर जिला सतना के प्रकरण कमांक 17 अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 20–8–15 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 31–7–17 को प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर एंव अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये। 3/ 01 वर्ष 11 माह के विलम्ब के सम्बन्ध में आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि राजस्व निरीक्षक भदनपुर के आदेश दिनांक 20–8–15 की जानकारी आवेदकगण को दिनांक 19–6–17 को उस समय हुई जब अनावेदक ने गॉव में चर्चा की कि निगराकारों की भूमि मेरे भूमि नंबर 140 में एक जरीव 40 कड़ी निकली है जिससे वह निगराकार की निस्तार भूमि नंबर 137 एंव मकान पर कब्जा करेगा। राजस्व निरीक्षक ने बिना सूचना दिये ही सीमांकन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है इसलिये विलम्ब क्षमा किया जाय एंव निगरानी सुनवाई में ग्राह्य की जाय। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को के अनुसार उन्हें सीमांकन की जानकारी 19–6717 को हुई है, जबकि राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 20–8–15 इस प्रकार है :– **" पटवारी प्रतिवेदन का अवलोकन किया। पटवारी प्रतिवेदन में नत्थू पिता गूलन, विश्वनाथ पिता गूलन चौधरी मकान बनाकर काविज। जिसे नक्शे में लालस्याही से दर्शाया गया है। प्रकरण में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं ।"** उपरोक्त से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत नहीं	

की गई है जिसके कारण अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में दिया गया विवरण समाधान कारक नहीं है। मामले में गुणदोष पर भी विचार किया गया। जैसाकि आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया है कि विचाराधीन सीमांकन से आवेदकगण की भूमि प्रभावित हुई है यदि आवेदकगण स्वयं् की भूमि को प्रभावित होना मानते हैं तव वह पटवारी एंव राजस्व् निरीक्षक से वरिष्ठ सहायक अधीक्षक/अधीक्षक भू अभिलेख से अपनी भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्तत्रंत हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में राजस्व निरीक्षक वृत्त भदनपुर तहसील मेहर जिला सतना के प्रकरण कमांक 17 अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 20–8–15 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है। फलतः निगरानी इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य